I 2795/2022

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

ACC Name-Ranjay Singh Yadav
ACC Code-UP14294304
ACC Add-Saidpur-Ghazipur
Mobile No-9198812918 L.No.-15
Tehsil Saidpur, District-Ghazipur

Certificate No.	:	IN-UP31756406241276U
Certificate Issued Date	:	01-Jul-2022 02:49 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14294304/ SAIDPUR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14294304553700677322253U
Purchased by	:	B V T BY PARSHURAM YADAV SO SHYAMALAL
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUZA TELIYANI PAR KHANPUR TEH SAIDPUR DIST GHAZIPUR ARAZI NO 104K,104KH LEASE RAKBA 15810 SQ MTR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	B V M BY PARSHURAM YADAV SO SHYAMALAL
Second Party	:	B V T BY PARSHURAM YADAV SO SHYAMALAL
Stamp Duty Paid By	:	B V T BY PARSHURAM YADAV SO SHYAMALAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,440 (One Thousand Four Hundred And Forty only)

LOCKED
S.R. Saidpur
Ghazipur

Please write or type below this line

JD 0000256599

VOID VOID VOID

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(1)

किरायानामा (लीजडीड)

लेखपत्र की प्रकृति :– **लीज डीड / किरायेदारी**

मौजा :– **तेलियानी**

परगना :– **खानपुर**

तहसील :– **सैदपुर**

जिला :– **गाजीपुर**

आ0 नं0 :– **आ0 नं0 104क रकबा 1.2310 हे0 मे से 0.7905 हे0 यानि 7905 वर्गमीटर व 104 ख रकबा 1.2370 हे0 मे से 0.7905 हे0 यानि 7905 वर्गमीटर दोनो गाटो से लीज शुदा रकबा 1.5810 हे0 यानि 15810 वर्गमीटर।**

किराया मासिक की धनराशि:– **1000 / –**

वार्षिक किराया :– **12000 / –**

देय स्टामप शुल्क :– **1440 रू0**

मूल्यांकन :– **72000 / –**

प्रथम पक्ष– 1 (लीजकर्ता)

बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय तेलियानी बहदिया गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक **परशुराम यादव पुत्र श्यामलाल** निवासी ग्राम व पोस्ट–बहदिया परगना खानपुर, तहसील सैदपुर, जिला– गाजीपुर ।
मो0 नं0 9415372531

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष –1. (लीज ग्रहीता)

बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट– बहदिया परगना खानपुर तहसील सैदपुर, जिला– गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक **अध्यक्ष / मुख्य न्यासी परशुराम यादव पुत्र श्यामलाल** निवासी ग्राम व पोस्ट–बहदिया परगना खानपुर, तहसील सैदपुर, जिला– गाजीपुर।
मो0 नं0 9415372531

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि विवरण सम्पत्ति जो इस दस्तावेज के अन्त में दी गयी है कि मालिक एवं काबिज दाखिल प्रथम पक्ष है । हम प्रथमपक्ष के जायदाद उपरोक्त जिसकी चौहद्दी एवं तफसील लेखपत्र हाजा के अन्त में दर्ज की जा रही है, को वास्ते **बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट** को चलाने हेतु प्रतिमाह 1000/– (एक हजार रूपया) हेतु वास्ते 30 वर्ष से अनाधिक के लिए द्वितीयपक्ष किराये पर लेना चाहते है ।

इस बाबत जब हम प्रथम पक्ष से बातचीत की गयी तो प्रथम पक्ष ने इस बात पर अपनी रजामंदी जतायी । अतएव हम प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को जायदाद जिसका विवरण इस दस्तावेज के अन्त में दिया जा रहा है ।
प्रतिमाह किराया मु0 1000 रू0 (एक हजार रूपया) में वास्ते 30 वर्ष से अनाधिक के लिए किरायेदारी पर देना स्वीकार करते हुये जायदाद उपरोक्त पर आबाद कर दिया । उभयपक्ष ने उचित समझा कि 30 वर्ष से अनाधिक के लिए किराये सम्बन्धित किरायेदारी की शर्तो व किरायेदारी की अवधि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई गलत फहमी उभयपक्ष के मध्य उत्पन्न न हो।

अतः उभयपक्ष स्वस्थ चित्त व मन से भली–भांति सोच विचार कर बिना किसी वाह्य दबाव के अधोलिखित के सम्बन्ध में किरायेदारी की अवधि 30 वर्ष से अनाधिक के लिए निष्पादित कर अपने को अपने–अपने वारिसान व उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित शर्तो से आबद्ध करते व होते है ।

1. यह कि हम प्रथमपक्ष द्वितीय पक्ष को उपरोक्त आ0नं0 का लीज 30 वर्ष से अनाधिक के लिए **बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट** संचालित के लिए दे रहा हूँ ।

2. यह कि द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा की वह लीज की आ0 नं0 पर **बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट** के आदेशानुसार सभी कार्य करेगें व **बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट** को उपलीज कर सकेगें ।

3. यह कि द्वितीय पक्ष को अंग्रेजी माह के प्रथम सप्ताह में किराया 1000 रू0 मासिक भुगतान प्रथमपक्ष को अदा करेगें ।

4. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा किरायेदारी वाली सम्पत्ति पर **बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट** का संचालन करेगा, इसमें प्रथमपक्ष को कई उज्र व एतराज नही है, और न ही भविष्य में होगा ।

5. द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह **बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट** को सबलीज कर सकता है । हम प्रथम पक्ष को कोई एतराज नही है ।

6. यह कि किरायेदारी विलेख 30 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिये प्रथम पक्ष द्वितीयपक्ष दे रहें है, समय सीमा 30 वर्ष से अनाधिक बीत जाने पर किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी यदि द्वितीय पक्ष का व्यवहार अच्छा रहा तो लीजकर्ता के इच्छानुसार किरायेदारी आगे भी बढ़ाई जा सकती है ।

7. यह कि किरायेदारी में लिखित समस्त शर्तो का पाबन्दी तथा उनके वारिसान व कायम मुकामान पर है व आइन्दा होगी ।

8. यह कि किरायेदारी की भूमि अकृषक भूमि है ।

विवरण सम्पत्ति जो लीज पर दी जा रही है ।

मौजा तेलियानी परगना खानपुर तहसील सैदपुर जिला– गाजीपुर आ0 नं0 104क रकबा 1.2310 हे0 मे से 0.7905 हे0 यानि 7905 वर्गमीटर व 104 ख रकबा 1.2370 हे0 मे से 0.7905 हे0 यानि 7905 वर्गमीटर दोनो गाटो से लीज शुदा रकबा 1.5810 हे0 यानि 15810 वर्गमीटर। जिसमें निर्मित भवन 1951.67 वर्गमीटर है ।

लीज भूमि की चौहद्दी निम्नलिखित है ।

पूरब	:–	सड़क ग्रामीण
पश्चिम	:–	खेत झूरी व बरसाती
उत्तर	:–	खेत रामचन्दर
दक्षिण	:–	खेत सहेन्दर आदि

गवाहन–

1. ह0 गवाह– **शिवप्रकाश त्रिपाठी पुत्र गोरखनाथ तिवारी**
निवासी ग्राम व पो0 बहदिया, परगना खानपुर
तहसील सैदपुर, जनपद– गाजीपुर।
मो0 नं0 91982030111

हस्ताक्षर............

2. ह0 गवाह– **जितेन्द्र सिंह पुत्र रामहरख सिंह**
निवासी ग्राम व पो0 अमेदा, परगना खानपुर
तहसील सैदपुर, जनपद– गाजीपुर ।
मो0 नं0 9838912824

हस्ताक्षर............

दिनांक– 01.07.2022

टाइप कर्ता–
पंकज

मस विदाकर्ता–
ए0 के0 सिंह
(एडवोकेट)

ह0 लीजडीड कर्ता

ह0 लीज डीड ग्रहीता

आवेदन सं०: 202200988003454

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3588 के पृष्ठ 231 से 244 तक क्रमांक 2795 पर दिनाँक 01/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी रमाशंकर सिंह
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर
01/07/2022

प्रिंट करें